बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक ..../2015

ज्ञाप सं0 2/वि.60–82/2015–....10.../ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा **स्थापना दिवस एवं बिहार दिवस** कार्यक्रम के आयोजन हेतु संबंधित कार्यक्रमों का गाईड–लाईन (दिशा–निर्देश) एवं समारोह की रुपरेखा का निर्धारण संलग्न गाईड–लाईन एवं बजट के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

2. अनुलग्नक–1 में निहित दिशा–निर्देश एवं निर्धारित बजट के अनुसार स्थापना दिवस एवं बिहार दिवस का आयोजन सभी जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3. व्यय किसी भी परिस्थिति में निर्धारित बजट के अतिरिक्त स्वीकार नहीं होगा।

4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

5. उक्त पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक ....158..../• पटना, दिनांक ...20/8.../2015

प्रतिलिपि :–श्री कुमार गुंजन, आई०टी० मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार को इस निदेश के साथ प्रेषित संबंधित आदेश एवं संलग्न गाईड–लाईड को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

20.8.15

(सुबोध कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रपत्र ii

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

स्थापना दिवस/बिहार दिवस हेतु का गाईड लाईन/बजट

राज्य में सांस्कृतिक वातावरण निर्माण हेतु राज्य के सभी जिलों में जिला स्थापना दिवस एवं बिहार दिवस समारोह आयोजित करने का प्रावधान है। इस समारोह में संबंधित जिला के नवोदित स्थापित तथा गुमनाम कलाकारों को मंच प्रदान कर उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर दिये जायेंगे। इससे राज्य में न केवल सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होगा, बल्कि कलाकारों की अगली पीढ़ी का सृजन भी होगा।

समारोह की रुपरेखा :–

1. संबंधित जिला की स्थापना तिथि पर जिला स्थापना दिवस तथा 22 मार्च को बिहार दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा। इसमें निम्नांकित विधाएँ होंगी :–

1.	प्रदर्श कला	शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, लोकगीत, सुगम संगीत, वाद्य–वादन, लोकगाथा, नाटक, वकतृत्व एवं अन्य विधा जो संबंधित जिला में उपलब्ध हों। यह कार्यक्रम प्रतियोगिता खण्ड एवं प्रदर्शन खण्ड में होगा।
2.	चाक्षुष कला	पेंटिंग, हस्तशिल्प, छाया.चित्र, मूर्तिकला आदि की प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन। यह प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी खण्ड में होगी।
3.	सेमिनार	उक्त अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें संबंधित जिला के महत्वपूर्ण स्थल एवं महान विभूतियों के योगदान पर चर्चा हो।
4.	खेलकूद	समारोह में खेलकूद कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकते है।
5.	स्मारिका प्रकाशन	स्मारिका का प्रकाशन विभागीय मार्गदर्शन अनुरुप ही किया जायेगा।

नोटः स्थापना दिवस एवं बिहार दिवस समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों में अधिकांश कलाकार/वक्ता आदि स्थानीय रखे जाने चाहिए। एक–दो अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय ख्याति के कलाकारों को विशेष रुप से आमंत्रित किया जा सकता है। स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक सहभागिता से राज्य में सांस्कृतिक माहौल कायम होगा तथा छिपी हुई प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकेगा।

राशि की व्यवस्था :–

2. स्थापना दिवस एवं बिहार दिवस समारोह के आयोजन हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना प्रत्येक जिला को उनकी स्थापना दिवस एवं बिहार दिवस समारोह के लिए 3–3 लाख रुपये का अलग–अलग आवंटन उपलब्ध करायेगी। उभय कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान नहीं है।

3. राशि का व्यय कार्यक्रम स्थल व्यवस्था, कलाकारों को मानदेय, आवासन, भोजन व्यवस्था, उद्घाटन एवं समापन, प्रकाश–ध्वनि, प्रचार–प्रसार, छायांकन/विडियोग्राफी आदि मदों में किया जायगा।
4. आयोजन की भव्यता हेतु जिला प्रशासन यदि आवश्यक समझे तो अतिरिक्त कार्यक्रमों को अपने जिला में अवस्थित सक्षम संस्थाओं से प्रयोजित भी करा सकता है।
5. जिलों की स्थापना के रजत जयंती समारोह हेतु कला–संस्कृति एवं युवा विभाग संबंधित जिला पदाधिकारी से पूर्व सूचना प्राप्त होने की स्थिति में उक्त जिला को स्थापना दिवस समारोह के निमित 3.00 लाख की जगह ₹ 5.00लाख का आवंटन उपलब्ध कराएगा।
6. जिला स्थापना दिवस, बिहार दिवस समारोह के लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त राशि की अपेक्षा विभाग से नहीं की जायेगी।
7. राशि का उपयोग संबंधित जिला पदाधिकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन में करेंगे, न, कि विधि व्यवस्था पर या अन्य किसी प्रशासनिक कार्य में।

अन्य आवश्यक निर्देश :–

1. जिला प्रशासन आयोजन के उपरांत 15 दिनों के अन्दर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।
2. कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों की विस्तृत सूची उनके बायोडाटा एवं कार्यक्रम का फोटोग्राफ/विडियो कैसेट तथा **प्रकाशित स्मारिका** के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे, ताकि विभाग द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी इन कलाकारों को आमंत्रित किया जा सके।
3. सहभागी कलाकारों के लिए सहभागिता प्रमाण–पत्र तथा स्मृति चिन्ह, पुरस्कार आदि जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा।
4. उद्घाटन एवं समापन हेतु मुख्य अतिथि का निर्धारण जिला प्रशासन का दायित्व होगा।
5. प्रतियोगिता खण्ड हेतु पुरस्कार राशि का निर्धारण ज़िला प्रशासन द्वारा किया जायगा।
6. आयोजन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया जा सकता है।
7. स्थापना दिवस समारोह में वैसे कार्यक्रमों को आवश्यक रुप से सम्मिलित किया जाय, जो लुप्त होने की स्थिति में हो चाहे वह प्रदर्श विधा की हो अथवा चाक्षुष कला की। इससे जिला की लुप्त होती विधा एवं कलाकार को पर्याप्त संरक्षण प्रदान कर संरक्षित एवं विकसित किया जा सकेगा।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार